

## निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 41/BIADA/2025-26

1. विज्ञापनदाता का नाम	:-	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4
2. निविदा कागजात बिक्री की तिथि एवं समय	:-	दि-0- 24.01.2026 से 30.01.2026 को कार्यालय अवधि में अपराह्न 3.00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	:-	दि-0- 31.01.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक
4. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	:-	दि-0- 31.01.2026 को अपराह्न 4:00 बजे
5. निविदा कागजात के परिमाण विपत्र की बिक्री एवं निविदा प्राप्ति का स्थान	:-	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4
6. कार्यों की विवरणी।		

क्र० सं०	कार्य का नाम	कुल प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (2%) (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	औद्योगिक क्षेत्र फतुहा में नाला सफाई का कार्य	8,44,707/-	17,000/-	2,500/-	1 माह

## नियम एवं शर्तें

- संयेदकों को निविदा के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की अभिप्राप्ति प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है :-
  - समुचित श्रेणी में अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।  
ख—आयकर पैन कार्ड।
  - जी० एस० टी० निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  - घ—अग्रधन की वांछित राशि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के नाम विधिवत निम्न रूप में प्रतिज्ञित होना चाहिये।
    - बैंक ड्राफ्ट “Bihar Industrial Area Development Authority, Patna” के नाम से बना होना चाहिये।
    - किसी भी बैंक द्वारा बैंक एफ०डी० “Bihar Industrial Area Development Authority, Patna” के नाम से निर्गत होना चाहिये।
  - च अद्यतन चारित्र प्रमाण पत्र।
  - छ—परिमाण विपत्र के उपर्युक्त कॉलम में निविदादाता के द्वारा निवेदित दर जो अंकों एवं अक्षरों में साफ—साफ अंकित हो।
- परिमाण विपत्र के Non Schedule item के उपर्युक्त कॉलम में निविदादाता के द्वारा मदवार निविदेदित दर जो अंकों एवं अक्षरों में साफ—साफ अंकित होना चाहिए।
- परिमाण विपत्र के Schedule item के उपर्युक्त कॉलम में निविदादाता के द्वारा परिमाण विपत्र की कुल राशि का (%) से अधिक / कम) अंकों एवं अक्षरों में साफ—साफ अंकित होना चाहिए। मुहरबंद निविदा दो लिफाफा पद्धति के आधार पर प्राप्त की जायेगी। प्रथम लिफाफा तकनीकी बीड का होगा तथा द्वितीय लिफाफा वित्तीय बीड का होगा। अग्रधन की राशि तकनीकी बीड के लिफाफे में रखी होनी चाहिए। लिफाफे पर ‘तकनीकी बीड’ एवं ‘वित्तीय बीड’ स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए एवं दोनों बीड एक लिफाफे के अंदर होनी चाहिए।
- कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।
- निविदाकारों को निविदा डालने के पूर्व कार्य से तथा कार्यस्थल से भली—भांति अवगत होना होगा एवं ऐसा माना जायेगा की कार्य एवं कार्यस्थल से भली भांति अवगत होने के पश्चात दर डाला गया है।
- कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए (बियाडा) कार्यालय में किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
- सर्वांगीन नहीं की जायेगी।
- किसी या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा एवं निविदा परिमाण विपत्र के मूल्य की राशि नहीं वापस की जायेगी।
- निविदादाताओं को निविदा कागजात के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य किसी राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट के रूप में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के नाम से पटना में भुगतेय होना चाहिये। निविदा रद्द के मामले में परिमाण विपत्र की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- विशेष शर्तें निविदा अभिलेख में देखी जा सकती हैं।
- निविदा कागजात Notice Board/BIADA Website पर देखा जा सकता है निर्धारित समय के बाद निविदा अभिलेख प्राप्त होने पर बिना खोले लौटा दी जायेगी। विलंब प्राप्ति हेतु प्राधिकार जिम्मेवार नहीं होगा। संबंधित लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निविदा क्रम संख्या एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

13. निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के तकनीकी शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा –  
 (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।  
 (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अद्व्युसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), निलंबित और काली सूची (Black list) में दर्ज एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद (Rescind) नहीं किया गया है।  
 (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के संसुराल पक्ष के संबंधी) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखा के संबंधी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखा के संबंधी विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद (Rescind) नहीं किया गया है।  
 (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।  
 (ङ.) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

14. सभी तरह का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो एवं निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा जिसे निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा उनके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

15. इस कार्य का Defect Liability Period कार्य समाप्ति की तिथि से एक वर्ष का होगा।

16. परिमाण विपत्र की दर से कम दर अंकित करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के साथ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – प्र०-६/१/ द० बी०-०३-०८/२००६(अंश), ४४(S) ई० पटना, दिनांक 16.01.2020 के आधार पर वर्णित दर से Additional Performance Guarantee देय होगा –

(a) परिमाण विपत्र की दर से ० से ५ प्रतिशत कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति ०१ प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।  
 (b) परिमाण विपत्र की दर से ५ से १५ प्रतिशत कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति ०१ प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।  
 (c) परिमाण विपत्र की दर से १५ से २० प्रतिशत कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए ०.१ प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति ०१ प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।  
 (d) परिमाण विपत्र की दर से २० प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए ०२ प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति ०१ प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

17. As per RCD letter no. 7435 (s) dated 14.08.2019, "S.B.D. Contract Clause-25 Settlement of Disputes and Arbitration made in Bihar Public Works Contract Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008".

18. कार्यविनंतन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।

19. कार्य आवंटन और एकरारनामा के उपरांत प्रगति समय के समानुपातिक नहीं होने की स्थिति में संवेदक Debar हो सकते हैं।

20. यह निविदा आमंत्रण सूचना एकरारनामा का अंश होगी।

21. कार्य का भुगतान, निधि की उपलब्धता के पश्चात किया जायेगा। विलंब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा।

22. बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से १% (एक प्रतिशत) राशि लेबर सेस के रूप में देय होगी, जो विपत्र से काट ली जायेगी।

23. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के आलोक में जी०एस०टी/स्वामित्व/मालिकाना फीस इत्यादि की कटौती की जायेगी।

24. The charge for advocate welfare fund has been changed to Rs. 25 from Rs. 15 (Stamp charge for oath other wise tender will not be valid as per recent Government order).

25. In the event of any dispute the legal matter shall be subject to the jurisdiction of Patna court only.

ह०/-  
 उप-महाप्रबंधक, तकनीकी  
 बियाडा, पटना।  
 दिनांक: १७/०१/२६

ज्ञापांक २९१/Iccb  
 प्रतिलिपि :- कार्यकारी निदेशक (परियोजना), बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित/प्राधिकार के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित/आई० टी० शाखा, बियाडा पटना को प्राधिकार के बेब साईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित/प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 उप-महाप्रबंधक, तकनीकी  
 बियाडा, पटना।